कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्याः– /एम0सी0जे0–2024/ई0सी0–1/संविदा–विज्ञप्ति दिनाँकः 19–अक्टूबर–2024

विज्ञप्ति

महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी में पी0जी0 सीटों की वृद्धि किये जाने/नेशनल मेडिकल कमिशन के मानको की पूर्ति के दृष्टिगत चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूरा करने हेतु निम्न रिक्त (Vacant) पदों पर संविदा तैनाती हेतु प्रार्थना पत्र दिनाँक 19–नवम्बर–2024 तक प्रधानाचार्य कार्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी में आमंत्रित किये जाते है।

S. No.	Department (Specialty)	Professor					Associate Professor					Assistant Professor				
		UR	OBC	SC	ST	EWS	UR	OBC	SC	ST	EWS	UR	OBC	SC	ST	EWS
1	आर्थोपेडिक्स	–	–	–	–	–		–	–	–	1	–	–		–	1
2	ऑफ्थैल्मोलॉजी	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
3	ऑब्स एण्ड गायनी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	एनॉटामी	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–
6	एनेस्थीसियोलॉजी	1	1	1	–	–	1	1	1		–	2	–	2	1	–
7	ऑटो–राईनो–लैरिंगोलॉजी	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
8	कम्यूनिटी मेडिसिन	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	–	–	–
9	कार्डियोलॉजी	1+1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
10	जनरल मेडिसिन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
11	जनरल सर्जरी	1T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1
12	टयूबरकुलोसिस एण्ड रेसपिरेटरी मेडिसिन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
13	डरमेटोलॉजी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	डेन्टिस्ट्री	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	न्यूरोलॉजी	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	न्यूरो सर्जरी	1	–	1T	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
17	नेफ्रोलॉजी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
18	प्लास्टिक सर्जरी	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
19	पीडियाट्रिक्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
20	पैथोलॉजी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
21	फार्माकोलॉजी	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
22	फिजियोलॉजी	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1
23	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
24	बायोकेमिस्ट्री	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	माइक्रोबायोलॉजी	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
26	यूरोलॉजी	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
27	रेडियोडायग्नोसिस	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
28	रेडियोथेरेपी	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1#	1	–	–	–
29	साइकियेट्री	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	कुल पद	8	5	5	0	2	3	6	7	1	3	8	12	12	1	4
		20					20					37				

T=Trauma Center, # = Medical Physicist

29. जिन अभ्यर्थी के फार्म चयनित कर लिये जायेगे, उन अभ्यर्थी को साक्षात्कार दिनाँक 22–नवम्बर–2024 निर्धारित है। साक्षात्कार उपरान्त रिक्त पदों (पदों की सूचना वेब साईट के माध्यम से सूचित कर दी जायेगी।) पर walk-in-interview प्रतिदिन अगली विज्ञाप्ति जारी होने तक अपरान्ह 12:30 से जारी रहेगें। जिसके लिये आवेदन किसी भी माध्यम से प्रेषित किये जा सकते है। तालिका में दर्शाये गये पदों

की संख्या अनिवार्य सेवा के तहत चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में संशोधन किया जा सकता जिसकी सूचना वेब साईट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

30. रिक्त पद हेतु अर्हता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के द्वारा जारी गजट संख्याः– सी0जी0–डी0एल0–अ–23022022–233681 दिनाँक 14–फरवरी–2022 (प्रति संलग्न) के अनुसार होगी। आवेदक को नेशनल मेडिकल कमीशन के समय–समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना होगा।

31. नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत् चिकित्सा शिक्षको को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवारत लाभ अनुमन्य नही होगें।

32. शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71–1–18–जी–63/2018, दिनाँक 21–11–2019 के अनुसार संविदा परा नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों को (आचार्य–2,20,000–00, सह आचार्य–1,60,000–00 एवं सहायक आचार्य–1,20,000–00 नियत वेतन प्रतिमाह) देय होगा। इस सम्बन्ध मे निर्धारित शर्तें शासन द्वारा समय समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न–भिन्न शासनादेशानुसार होगी।

33. विशिष्टताओ मे सृजित आचार्य एवं सह आचार्य के रिक्त पदो के चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध नही होने पर उक्त रिक्त पदो के सापेक्ष सहायक आचार्य के रूप में भरे जायेगे।

34. आयु सीमा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ के निर्गत शासनादेश संख्याः– 562/71–1–2020–जी0–63/2008 लखनऊ दिनाँक 10–जून–2020 के द्वारा निर्धारित शर्ते मान्य होगी। संविदा पर नियुक्ति हेतु चिकित्सा शिक्षको की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के माह जुलाई, 2024 के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एव आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।

35. संविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नही होगें।

36. अनिवार्य सेवा के तहत या नियमित अभियार्थी उपलब्ध होने के दृष्टिगत पदो की संख्या घट बढ़ सकती है एवं तद्नुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

37. साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा। सभी प्रकार का अन्तिम निर्णय लेने का आधिकार उत्तर प्रदेश शाासन का होगा।

38. शासनादेश संख्या 6/2019/4/1/2022/का–2/19टी.सी0–1 दिनाँक 23–10–2019 के अनुसार सम्बन्धित विशिष्टता में अनारक्षित कॉलम में दर्शाये गये ईडब्लूएस0 के पदों का आर्थिक रूप से कमजोर (ई0डब्लू0एस0) वर्ग का अर्ह अभ्यार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त पदों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों द्वारा भरा जायेगा।

39. शासनादेश संख्या 119/2018/2842/71–2–2018–33/2018 दिनाँक 20–09–2018 में प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई) के अन्तर्गत सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय के संचालन हेतु प्राविधानित सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य (कंसलटेन्ट) के रूप में पुर्नयोजित एक मुस्त रूपये 2,20,000–00 का मासिक पारिश्रामिक प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्ते उक्त शासनादेश दिनाँक 20–09–2018 के अनुसार होगी।

40. आदेवकों को स्पष्ट सूचित किया जाता है कि, विज्ञप्ति के साथ संलग्न फर्म को सम्बन्धित अभिलेखों सहित केवल पंजिकृत डाक से प्रेषित फार्म को मान होगा। अपूर्ण यह गलत पद के लिये भरे गये आवेदन फार्म निरस्त कर दिये जायेगें।

41. यदि किसी संस्थान मे सेवायोजित है तो साक्षात्कार हेतु सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त इस आशय का रू 10–00 (रूपये दस मात्र) के स्टाम्प पेपर पर फोटो सहित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचिलित नही है और न ही लम्बित है एवं किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये गया हो। यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है अथवा कोई सूचना असत्य पायी जाती है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

42. आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओं का रोस्टर/शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/का–2/2019टी0सी0–1 दिनाँक 13–08–2019 का अनुपालन मान्य होगा।

संलग्नकः– आवेदन पत्र।

प्रधानाचार्य
चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्याः–4358/एम0सी0जे0–2024/ई0सी0–1/संविदा–विज्ञप्ति तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ।
12. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
14. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया संस्थान, लखनऊ/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/जी0आई0एस0एस0, ग्रेटर नोएडा।
15. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
16. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी को इस आदेश के साथ कि कालेज की वेब साइट पर उपरोक्त सूचना तत्काल अपलोड कराने के साथ कृत्य कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
17. साक्षात्कार समिति के सदस्य चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।
18. समस्त विभागाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।
19. अशुलिपिक (प्रधानाचार्य), चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।
20. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

प्रधानाचार्य
चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।